बिहार न्यायिक सेवा

- ☞ *शैक्षणिक योग्यता - एल एल०बी०*
- ☞ *आयु सीमा - 22 से 35 वर्ष*
- ☞ *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट)*

परीक्षा की प्रक्रिया

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1.	प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय)	250 अंक
2.	मुख्य परीक्षा (व्यक्ति-निष्ठ)	850 अंक
3.	साक्षात्कार	100 अंक

प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा दो प्रश्न-पत्रों में होगी :

प्रथम प्रश्न-पत्र : (समयावधि - $1\frac{1}{2}$ घण्टा) 100 अंक

I. सामान्य ज्ञान

II. सामान्य विज्ञान

द्वितीय प्रश्न-पत्र : (समयावधि - 2 घण्टे) 150 अंक

I. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि

II. भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि

III. हिन्दू विधि तथ मुस्लिम विधि

IV. संपत्ति अन्तरण विधि, साम्य सिद्धान्त, न्यास विधि, विशिष्ट अनुतोष सहित

V. संविदा और अपकृत्य विधि

VI. वाणिज्य विधि –

(a) माल विक्रय अधिनियम

(b) परक्राम्य लिखत अधिनियम

(c) कम्पनी विधि

(d) भागीदारी अधिनियम

मुख्य परीक्षा

A. **अनिवार्य प्रश्न-पत्र :**

1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित)	150 अंक
2.	प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान	100 अंक
3.	सामान्य हिन्दी	100 अंक
4.	सामान्य अंग्रेजी	100 अंक
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि	150 अंक

नोट : *सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी प्रश्न-पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।*

मुख्य परीक्षा के विवरण

1. *सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित) :* इस प्रश्न-पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल के ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

2. *प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान :* इस प्रश्न-पत्र में दैनिक संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनके संबंध में आशा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय पर विशेष अध्ययन किए बिना ही किसी भी शिक्षित व्यक्ति को उसकी जानकारी रह सकती है।

3. *सामान्य हिन्दी :* (1) इस प्रश्न-पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। (2) इस परीक्षा में (क) उम्मीदवारों को सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्ट और शुद्ध-शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य क्षमता और (ख) परिचित विषयों पर सीधी-सादी हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जांच की जायेगी। (3) अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा -

विषय	अंक
(a) निबंध	40
(b) वाक्य विन्यास	30
(c) व्याकरण	30

4. *सामान्य अंग्रेजी :* यह प्रश्न-पत्र उम्मीदवारों की अंग्रेजी की समझ का परीक्षण करता है और अंग्रेजी भाषा लिखने की क्षमता देखता है। इसमें अपठित गद्यांश, संक्षिप्तिकरण लेखन, पत्र लेखन और अन्य इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।

5. साक्ष्य विधि और प्रक्रिया :

   (i) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

   (ii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

   (iii) मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996

   (iv) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

   (v) प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887

B. **ऐच्छिक प्रश्न-पत्र :** (5 विषयों से कोई तीन विषय चुनने का विकल्प होगा) प्रत्येक विषय के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित होगा। (150 × 3 अंक)

1. *भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि :*

   (a) भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से 395 एवं अनुसूचियाँ।

   (b) भारतीय प्रशासनिक विधि

   प्रशासनिक विधि के अन्तर्गत निम्न विषय आयेंगे—प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण - न्यायिक एवं विधायी, निष्पक्ष सुनवाई, नैसर्गिक न्याय का नियम, पक्षपात के विरुद्ध नियम, ऑडी आल्ट्रेम पारटेम, न्यायाधिकरण एवं अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण, उन पर न्यायिक नियंत्रण, विनियामक प्राधिकरण, प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन, रिट क्षेत्राधिकार एवं सांविधिक न्यायिक उपचार, क्षेत्र, विस्तार एवं अंतर, जनहित याचिका, राज्य का अपकृत्य दायित्व एवं प्रतिकर, वचन विबंध, विधि सम्मत प्रत्याशा एवं समानुपातिका का सिद्धांत, सरकारी संविदा, ओम्बुड्समैन।

2. (a) *हिन्दू विधि :* स्रोतों का स्वरूप, विभिन्न शाखायें, विवाह, पुत्रत्व, दत्तक ग्रहण, संयुक्त परिवार, संयुक्त सम्पत्ति, अविभाज्य सम्पदा, ऋण, हस्तांतरण, विभाजन, उत्तराधिकार, स्त्रीधन, विधवा की संपदा, वसीयत, दान, धार्मिक और खैराती विन्यास।

   (b) *मुस्लिम विधि :* मुस्लिम विधि के स्रोत, विभिन्न शाखाओं का उद्‌गम और विकास, भारत में इसके लागू होने के बाद, शरिअत अधिनियम, 1937, इस्लाम धर्म ग्रहण करने का प्रभाव, उत्तराधिकार और प्रशासन, वसीयत, दान, हिबा-बिल एवज, वक्फ अनुरक्षण, वल्दियत-धर्मजत्व, अभिस्वीकार, संरक्षकता।

3. *सम्पत्ति अन्तरण और साम्या के सिद्धांत :* इसमें सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, साम्या का सिद्धांत, न्यास विधि तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम शामिल है। साम्या न्यायालय का इतिहास, सूक्तियां, चलन से न्यास का विकास, न्यास की परिभाषा, न्यास गठन में औपचारिकतायें, न्यास का वर्गीकरण, अभिव्यक्त, विवक्षित परिणामी, रचनात्मक, प्राइवेट व सार्वजनिक, बेनामी लेनदेन का सिद्धांत, न्यासियों के अधिकार और कर्त्तव्य, न्यास की दृढ़ता, न्यास भंग के उपचार।

4. *संविदा विधि और अपकृत्य :*
   - भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
   - अपकृत्य विधि – अपकृत्य का स्वरूप, दायित्व के सामान्य सिद्धांत, प्रतिकर, उपद्रव, दैहिक क्षति, आक्रमण, हमला, मिथ्या कारावास, घरेलू और संविदात्मक संबंधों को क्षति पहुंचाना, सदोष बर्खास्तगी, मानहानि, उपेक्षा, रायलैण्ड बनाम फ्लेचर, छल, षडयंत्र, विद्वेषपूर्ण अभियोजन।

5. *वाणिज्यिक विधि :* माल बिक्री, परक्राम्य लिखत, कम्पनी विधि, भागीदारी अधिनियम से संबंधित मुख्य सिद्धांत।

साक्षात्कार

- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य होंगे।
- साक्षात्कार 100 अंक का होगा।

''किसी की गलत मंशाएँ आपको किनारे नहीं लगा सकती, जो बात सिद्धांत में गलत है वह बात व्यवहार में भी सही नहीं''

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद